

न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/143/2025

दायर दिनांक:-18.09.2025

रजि0 न0 2025/352

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-

श्री संतोष जैमन एडवोकेट पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा, निवासी-43/54/07, द्वितीय तल, सुभाष लेन, वरूण पथ मानसरोवर, जयपुर (राज0)-302020

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

---:: निर्णय ::---

दिनांक:- 07.10.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 23.07.2025 के संबंध में किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलने बाबत अपील पेश की गई है ।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 29.09.2025 को उपस्थित आवें ।
5. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया एवं प्रत्यर्थी ने जवाब अपील पत्रांक लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2025/2021 दिनांक 07.10.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक: 23.07.2025 (30.07.2025 को कार्यालय को प्राप्त) को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार RTI Online Portal पर जरिये Application No. 293162671339739 दिनांक: 01.08.2025 दर्ज रजिस्टर कर, आवेदन के परिप्रेक्ष्य में संबंधित अनुभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर RTI Online Portal पत्र सं. 8478970534 दिनांक 06.10.2025 के माध्यम से विनिश्चय कर अभिलेख पर उपलब्ध 05 पृष्ठीय बिन्दुवार सूचना, अपीलान्त को ऑनलाईन व डाक के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना के क्रम में RTI Online Portal पत्र सं. 8478970534 दिनांक 06.10.2025 के माध्यम से विनिश्चय किया गया है जो अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है एवं प्रथम अपील के अनुसरण में लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2025/2021 दिनांक 07.10.2025 के माध्यम से तथा पूर्व प्रेषित सूचना की छायाप्रति संलग्न कर अपीलार्थी को संसूचित किया जा चुका है। उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है तथा साथ ही प्रत्यर्थी को भी निर्देशित किया जाता है कि गविष्य में अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रथम आवेदनों का निस्तारण निश्चित रागयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 07.10.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।



(ड. आर्तिका शुक्ला)  
अपीलीय अधिकारी एवं  
जिला कलक्टर, अलवर